



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

आदेश

- अ. विभिन्न पदों पर पदोन्नत कार्मिकों के पदोन्नति परित्याग किये जाने/माने जाने की दशा में संस्था प्रधान को निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी है :-
1. पदोन्नति आदेश का विवरण कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकन किया जाकर पदोन्नत स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जावेगा ।
 2. यदि कार्मिक पदोन्नति का परित्याग लिखित में करता है/परित्याग माना जाता है तो संस्था प्रधान को कार्मिक की सेवा पुस्तिका में अंकन किया जाकर, आगामी 2 वर्ष के लिए पदोन्नति हेतु अपात्र माने जाने का विवरण भी लाल स्याही से अंकित किया जाना आवश्यक होगा ।
 3. संस्था प्रधान आगामी 04 अगस्त 2015 तक उक्त आशय का अंकन कर पूर्ण विवरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-प्रथम/द्वितीय को अग्रप्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।
 4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी पदोन्नति परित्याग करने/कार्यभार ग्रहण नहीं करने वालों की संख्यात्मक सूचना संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा को 5 अगस्त 2015 को सौंकाल तक प्रेषित करना आवश्यक होगा ।
 5. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्मिकवार एवं विषयवार कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले/पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों की संख्यात्मक व विवरणात्मक सूचना विभाग के ईमेल आई डी absecsecedu@gmail.com पर 8 अगस्त 2015 तक निदेशालय को भिजवाने के लिए उत्तरदायी होंगे ।
- ब. सीधी भर्ती/स्थानान्तरण से पदस्थापित कार्मिकों की संख्यात्मक व विवरणात्मक सूचना उपर्युक्त बिन्दु संख्या 3 व 4 के आधार पर प्रेषित करने का उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का होगा ।
- स. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा इस क्रम में प्रभावी प्रबोधन करेंगे ताकि राज्य सरकार स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा सके ।

9/7/2-
(सुवालाल)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 31.07.2015

कर्मिक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-8/विधि/2015-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सभस्त उप सचिव, शिक्षा(पुप-2)विभाग, राज-जयपुर ।
2. डिस्ट्रिक्ट सहायक शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान-सरकार
3. निजी सचिव सभस्त सचिव, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
5. सभस्त उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
6. सभस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/1)
7. प्रभावी अधिकारी,कम्प्यूटर अनुभाग,कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड बाबत ।
8. रक्षित पत्रवली

9/7/2-
निदेशक

राजस्थान सरकार
कार्मिक इंक-2 विभाग

40.108 उई कार्मिक/क-2/75 पार्ट-1।

जयपुर, दिनांक: 29-10-2004

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विश्विष्ठ शासन सचिव/उप शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष इतिभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर सहित
सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

परिपत्र

विषय:- विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के लिए प्रश्नावली ।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28.5.98 के साथ विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष विचार करने के लिए निर्धारित प्रश्नावली में आवश्यक सूचना तैयार कर समिति के समक्ष रखने के निर्देश जारी किये गये थे । प्रश्नावली के साथ एक परिशिष्ट-डी भी संलग्न किया गया था, जिसमें विचारण क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में वरिष्ठता सह पात्रता से संबंधित सूचना तैयार कर समिति को प्रस्तुत की जाती है ।

कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 40 71।कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 एवं दिनांक 8.4.2003 जारी कर समस्त सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि "ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । इसी प्रकार सेवारत कर्मचारियों के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि "ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है पांच वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों" । अतः उक्त सूचना विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष सही-सही प्रस्तुत हो, यह सुनिश्चित करने हेतु परिशिष्ट-डी में एक नया कालम जोड़ा गया है, जिसमें कर्मचारी की सन्तानों की संख्या का विवरण दिया जाना है ।

इसके अलावा कार्मिक इंक-2 विभाग की अधिसूचना सं. 71।कार्मिक/क-2/98 दिनांक 5.8.1998 द्वारा विविध सेवा नियमों में पदोन्नति त्यागने के किये गये प्रावधान के अनुसार पदोन्नति त्यागने वाले कर्मचारियों को आगामी दो भर्ती वर्षों में पदोन्नति के लिये पात्र नहीं माना गया है । अतः इस संबंध में भी इस परिशिष्ट-डी में नोट संख्या-5 में उनका विवरण दिया जाना संबंधित विभाग के लिए उपयोगी समझा गया है । यही नहीं वर्तमान परिशिष्ट-डी में वर्णित कुछ बिन्दु वर्तमान समय में अप्रासंगिक एवं अनुपयोगी होने के कारण इन्हें विलोपित करना आवश्यक समझा गया है । इन्हीं कारणों से परिशिष्ट-डी को अब संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस परिपत्र के साथ संशोधित परिशिष्ट-डी की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कृपया प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रश्नावली के साथ इस परिशिष्ट-डी में वर्णित बिन्दुओं की समस्त सूचना स्पष्ट रूप से अंकित कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें उचित प्रकार से सम्पन्न हो सकें ।

मुकेश शर्मा

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर ।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
5. रजिस्ट्रार, राज.सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ।

शासन उप सचिव

20/04

P.T.O.



पदोन्नति को फोरगो करने पर प्रभाव

प्रश्न→मैं 2nd ग्रेड टीचर के पद पर कार्यरत हूँ मेरा डीपीसी वर्ष 2019-20 में लेक्चरर

पद पर प्रमोशन हुआ लेकिन मैंने उसको परित्याग (फोरगो) कर दिया ।

कृपया यह बतावे की इसका मेरे आगे प्रमोशन एवम एसीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर→पदोन्नति पर फोरगो करने का निर्णय बकाया सेवा अवधि एवम आर्थिक नुकसान की गणना करने के बाद करना चाहिए पदोन्नति को फोरगो करने पर वित्तीय एवम संस्थापन दोनों स्तर पर हानि होती है।

***(1)पदोन्नति पर प्रभाव* 🍌कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 4.6.2008 के अनुसार फोरगो करने से दो चयन वर्ष बाद पुनः प्रमोशन की पात्रता सूची में नाम आता है।**

आपने 2019-20 की डीपीसी में फोरगो किया है इसलिए आपका नाम प्रमोशन हेतु 2 चयन वर्ष के बाद पुनः 2022-23 में आयेगा एवम आप प्रमोशन के लिए पुनः पात्र होंगे।

नॉट 🍌व्याख्याता पद पर फोरगो करने के बाद भी वरिष्ठता के आधार पर यदि व0अ0का नम्बर HM सेकेंडरी स्कूल के पद हेतु आता है तो वह इसके लिए पात्र रहता है।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

(2)फोरगो का एसीपी पर प्रभाव

→वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.09 एवं 30.10.17 की अधिचुचना के रूल्स 14&15 के अनुसार फोरगो करने पर पूर्व में स्वीकृत एसीपी की वसूली नहीं होगी।

→फोरगो करने के बाद जो बकाया एसीपी होती है वह एसीपी जितने वर्ष फोरगो रहता है उस अवधि को जोड़ कर पुनः प्रमोशन पर जॉइन करने के बाद मिलती है।

→जैसे 2019-20 में फोरगो किया तथा पुनः 2022-23 में पदोन्नति होने पर जॉइन किया गया तो भविष्य में जो बकाया एसीपी है वह निम्न अनुसार देय होगी।

(1)9 वर्ष की एसीपी 9+3=12 वर्ष में मिलेगी

(2)18 वर्ष की एसीपी 18+3=21 वर्ष में मिलेगा

(3)27 वर्ष की एसीपी 27+3=30 वर्ष में मिलेगी



🎀शैक्षिक समाचार राजस्थान🎀

ENCOURAGING ME WHEN I NEED A SHOVE
BUT MOST OF ALL, THANK YOU FOR
LOVING ME FOR WHO I AM

